कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

पत्र क्र./सामाजिक न्याय/ ..1526...

इन्दौर, दिनांक .....17/8/21...

प्रति,

1- जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-इंदौर

2- जिला परियोजना समन्वयक
जिला-इंदौर

विषय :- 06 से 18 वर्ष की आयु के दिव्यांग छात्र/छात्राओं को विदयालयों में नि:शुल्क प्रवेश एवं शिक्षण की सुविधा के संदर्भ में।

संदर्भ :- दिनांक 09.08.2021 को आयोजित एडव्होकेसी बैठक के बिंदु कमांक 03 के परिपालन में।

--००--

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 31 (1) 31(2) के अनुसार 40 या उससे अधिक के समस्त दिव्यांग छात्र/छात्राओं को जिनकी आयु 06 से 18 वर्ष तक हो, उन्हे नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है, साथ ही अधिनियम में यह भी प्रावधान है, कि ऐसे दिव्यांग छात्र-छात्रा अपने पड़ोस के या अपनी पसंद के किसी भी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते है। उक्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 89 के अनुसार अधिनियम की किसी भी धारा के उल्लंघन पर जिम्मेदार व्यक्ति/ संस्था पर राशि रू 5 (पांच) लाख तक का जुर्माना किये जाने का प्रावधान है।

अतएव उक्त प्रावधानों के तहत् जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को अवगत कराकर दिव्यांग छात्र-छात्राओं के नि:शुल्क प्रवेश एवं शिक्षण का परिपालन कराना सुनिश्चित करें।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर,
जिला-इंदौर म०प्र०

पृ०क्र०/सामाजिक न्याय/2021/1527

इंदौर दिनांक..17/8/21

प्रतिलिपि :-

1- संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग भोपाल
2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय म०प्र० भोपाल
3- आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर
4- उप-संचालक जनसर्म्पक जिला इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,
जिला-इंदौर म०प्र०